

पत्रांक संख्या- 05/2022 टेंडर सूचना/नजारत/जनपद न्यायालय चन्दौली। दिनांक: 05-01-2022

टेंडर

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश चन्दौली के आदेश दिनांक 03.01.2022 के अनुपालन में बन्द लिफाफा के माध्यम से दिनांक 24.01.2022 को कार्यालय अवधि तक टेंडर आमंत्रित किया जाता है। टेंडर दिनांक 25.01.2022 को सांय 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय कक्ष में उपस्थित अथराइज्ड फर्म/प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित क्रय समिति के द्वारा खोला जायेगा। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में टेंडर उसी क्रम में एवं समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा। टेंडर कुल धनराशि रु. 1,00,000/- के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

इलेक्ट्रिकल सामग्री की सूची।

क्र.स.	सामग्री का विवरण	प्रति पीस का दर जी.एस.टी. सहित
1.	एल.ई.डी. ट्यूब लाइट	
2.	एक्सटेन्शन बोर्ड	
3.	टेप	
4.	कन्डेसर	
5.	सीलिंग फैन	

नियम व शर्त:-

1. टेंडर की कुल धनराशि का 10% धरोहर धनराशि के रूप में नकद केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करना पड़ेगा। फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास न होने की दशा में धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।
2. किसी भी फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास होने के उपरांत सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने पर किसी भी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. उपरोक्त सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप होना आवश्यक है।
4. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के टेंडर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया जा सकता।
5. टेंडर में उल्लिखित सामग्रियों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
6. टेंडर जमा करते समय उपरोक्त सभी सामग्री का सेम्पल लाना अनिवार्य होगा।

A. Rawat -
5-1-2022.

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)
चन्दौली/अध्यक्ष
क्रय समिति।